न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– एन. एम. पहाडिया, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर
मुकदमा नम्बर :– 51/2017 (RCMS No.2017/00155)

उनवानी प्रकरण :–

1. पान सिहं पुत्र बद्री सिहं जाति गूर्जर निवासी इब्राहिमपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर ———————————————— प्रार्थी ।

बनाम

1. जयसिहं पुत्र गोकुल सिहं जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहिमपुर तहसील बाडी
2. पूरन देई पत्नी जय सिहं जाति गुर्जर निवासी ग्राम इब्राहिमपुर तहसील बाडी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर —— अप्रार्थीगण ।

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी की ओर से श्री बिज्जोलाल शर्मा अभिभाषक।
2– अप्रार्थीगण की ओर से श्री हरीसिहं बघेला अभिभाषक ।

निर्णय दिनॉक :– 5.6.2018

निर्णय

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया है कि उपखण्डाधिकारी बाडी ने आदेश दिनांक 27.4.2013 के द्वारा अप्रार्थीगण के हक में आराजी खसरा नम्बर 235 रकवा 5 बीघा 4 विस्वा स्थित ग्राम इब्राहिमपुर तहसील बाडी की भूमि का आवंटन किया है तथा आवंटन का पट्टा अप्रार्थीगण के नाम जारी किया है । आवंटन आदेश आवंटन नियमों की पालना किये बगैर तथा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व आवंटन के लिये उपलब्ध भूमि की कोई सूची पंचायत मुख्यालय अथवा तहसील कार्यालय पर प्रकाशित नहीं की। आवंटन करने से पूर्व कोई आपत्ति आमन्त्रित नहीं की गई और न आवंटन की कोई उघोषणा की गई । जिस भूमि का आवंटन किया गया है वह जमीन आवंटन के काबिल नहीं थी क्योंकि भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरी (नाला) राजस्व अभिलेखों में दर्ज है जो आवंटन के काबिल नहीं है । जिस भूमि का आवंटन किया गया है उसका आवंटन भूमि के किस्म बिना परिवर्तित किये नहीं किया जा

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

सकता है क्योंकि आवंटन से पूर्व जमीन की किस्म गैर मुमकिन मगरी दर्ज है । उपखण्डाधिकारी को जमीन की किस्म परिवर्तित करने का कानूनन अधिकार नहीं है किस्म परिवर्तन का अधिकार जिला कलक्टर को है । आवंटन केवल आवंटन कमेटी द्वारा ही किया जा सकता है अकेले उपखण्डाधिकारी को आवंटन करने का अधिकार नहीं है । अप्रार्थी जयसिहं भूमिहीन नहीं है उसके पास आवंटित भूमि के अलावा भी खातेदारी की अन्य भूमि मौजूद है तथा अप्रार्थीया पूरन देई एक ग्रहणी है वह काश्तकार नहीं है और जो व्यक्ति कृषक नहीं है उसके हक में आवंटन नहीं किया जा सकता है । अप्रार्थीगण ने आज तक आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की है इस प्रकार आवंटियों ने आवंटन नियमों का पालन नहीं किया है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आदेश दिनांक 27.4.2013 बावत आवंटन अप्रार्थीगण निरस्त किया जावे । तथा तहसीलदार बाडी को आदेश दिया जावे कि आवंटित भूमि को आवंटन से पूर्व की स्थिति में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें ।

प्रार्थना पत्र रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस इस आशय का जारी किया गया कि उन्हें इस नोटिस के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो असालतन व वकालतन न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें ।

अप्रार्थीगण की ओर से श्री हरीसिहं बघेला ने उपस्थित होकर बकालतनामा पेश किया तथा नोटिस का जबाव प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्डाधिकारी बाडी ने विवादित आदेश के द्वारा प्रार्थी के हक में ना होकर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के हक में आराजी खसरा नम्बर 235 रकवा 5 बीघा 4 विस्वा स्थित ग्राम इब्राहिमपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर का ही आवंटन नियमानुसार विधिक रूप से किया गया है जिसे चैलेन्ज करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही निरस्त करा पाने का अधिकारी है । प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य गलत है स्वीकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में किये गये आवंटन के समय से पूर्व से ही आवंटित भूमि सिवायचक लगानी थी तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर 235 की किस्म बारानी सोयम थी तथा उक्त आराजी पर पूर्व आवंटन से अप्रार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है । उपखण्डाधिकारी बाडी द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के हक में किया गया आवंटन दिनांक 27.4.2013 नियमानुसार किया गया है । अप्रार्थीगण उक्त आराजी पर काश्त करते चले आ रहे है और वर्तमान में भी है अप्रार्थीगण ने सम्बत् 2071 में फसल चरी सम्वत् 2072 में सरसों सम्वत् 2073 तक फसल सरसों की पैदा की है और वर्तमान में भी अप्रार्थीगण की फसल खडी हुई है । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र गलत आधारहीन काल्पनिक रूप से मनगढन्त तथ्य गठित कर प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को हैरान परेशान करने की बदनीयती से किया गया है । अप्रार्थीगण का आराजी खसरा नम्बर 235 रकवा 5 बीघा 4 विस्वा में आवंटन से पूर्व भरी कब्जा होने पर अप्रार्थीगण द्वारा पैनल्टी राशि का भी भुगतान किया गया है । आराजी खसरा नम्बर 235 में कभी नाला स्थापित नहीं रहा है तथा उक्त आराजी समतल है जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा काश्त की जा रही है । उक्त आराजी सिवायचक

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

भूमि है जिसकी किस्म बारानी सोयम है । अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के हक में किये गये आवंटन के अनुसार राजस्व अभिलेख की प्रविशिष्टि में नियमानुसार नामान्तकरण संख्या 362 में गैर खातेदारी का अंकन किया गया जो कि दिनांक 15.6.2013 को स्वीकृत किया जा चुका है । अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के हक में राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधिवत रूप से गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 400 दिनांक 30.6.2016 को स्वीकार हुआ है जो सही व वैध है ।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल नक्शा अक्स खसरा नम्बर 235 ग्राम इब्राहिमपुर, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ग्राम इब्राहिमपुर तहसील बाडी खाता संख्या 126, नकल नामान्तरकरण संख्या 362 ग्राम इब्राहिमपुर दिनांक 14.6.2013, नकल जमाबन्दी सम्वत् 2063 से 2066 खाता संख्या 1, नकल पट्टा दिनांक 27.4.2013 वहक जयसिहं पूरनदेई द्वारा उपखण्डाधिकारी बाडी, नकल पटवार परत दिनांक 22.6.2016 ग्राम इब्राहिमपुर पेश की ।

अप्रार्थीगण ने अपने जबाव के समर्थन में सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी वाके ग्राम इब्राहिमपुर सम्वत् 2071–2074, नकल खसरा गिरदावरी वाके ग्राम इब्राहिमपुर तहसील बाडी सम्वत् 2071 से 2074 खसरा नम्बर 235, फोटो प्रति आवंटन आदेश नम्बर 100/2013 तारीख दिनांक 27.4.2013, नकल नामान्तरकरण संख्या 362 वाके ग्राम इब्राहिमपुर तहसील बाडी, प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण संख्या 400 वाके ग्राम इब्राहिमपुर, फोटो प्रति नक्शा ट्रैस ग्राम इब्राहिमपुर खसरा नम्बर 235, पैनल्टी रसीद दिनांक 15.3.2012, प्रीमियम पट्टा फीस दिनांक 26.8.2014 पेश की ।

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई । प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उपखण्डाधिकारी बाडी ने आदेश दिनिांक 27.4.2013 के द्वारा अप्रार्थीगण के हक में आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम इब्राहिमपुर तहसील बाडी की भूमि का आवंटन किया है तथा आवंटन का पट्टा अप्रार्थीगण के नाम जारी किया है । आवंटन के नियम 5 की पालना नहीं हुई है । आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व आवंटन के लिये उपलब्ध भूमि की कोई सूची पंचायत मुख्यालय अथवा तहसील कार्यालय पर प्रकाशित नहीं की। आवंटन करने से पूर्व कोई आपत्ति आमन्त्रित नहीं की गई और न आवंटन की कोई उदघोषणा जारी की गई है। जिस भूमि का आवंटन किया गया है वह जमीन आवंटन के काबिल नहीं थी क्योंकि भूमि की किस्म गैर मुमकिन मगरी (नाला) राजस्व अभिलेखों में दर्ज है ऐसी भूमि का आवंटन नही किया जा सकता इस सम्बन्ध में आर. आर. डी. 1980 पेज संख्या 315 का दृष्टान्त पेश किया जिसमें यह प्रति पादित किया गया है कि " **Raj.Land Revenue Act,Sees,131, 132, 136 & 123--Allotment Rules,1957, R.4(f4)--SDO had no jurisdiction to convert G.M. Talai into cultivable" Barani" land and same was not open for allotment-According to R.4(4) land recorded as G.M. in current settlement not available for allotment for aghri. purposes-- Board rightly held than SDO, not empowerd to convert land, recordedin record of rights as G.M.Talai into Barani,either u/s 131 or 132 or 136 read with sec.123 --view, taalem om 1977 RRD**

(नन्दमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

673 (LB) confirmed,(paras 5&6) जिस भूमि का आवंटन किया गया है उसका आवंटन भूमि के किस्म बिना परिवर्तित किये नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवंटन से पूर्व जमीन की किस्म गैर मुमकिन मगरी दर्ज है । उपखण्डाधिकारी को जमीन की किस्म परिवर्तित करने का कानूनन अधिकार नहीं है इस सम्बन्ध में आरआरडी 1982 पेज संख्या 520 की नजीर पेश की जिसमें यह प्रति पादित किया गया है कि " **Allotement Rules, 18970 R.11 -R.T. Act, sec 5 (26A)-- Landless person-- Allotements to appeliants, held rightly canncelled where they were living jointly whith their father/grant father who possessed several bighas of land--provisions of R.T.Act, applicable to all persons irrespective of religion and noint faamily used in sec.5(26A)cannot refer to joint Hindu Family Only.** आवंटन केवल आवंटन कमेटी द्वारा ही किया जा सकता है. भूमिहीन व्यक्ति को ही भूमि का आवंटन किया जा सकता है अप्रार्थी जयसिहं भूमिहीन नहीं है उसके पास आवंटित भूमि के अलावा भी खातेदारी की अन्य भूमि मौजूद है । अप्रार्थीगण ने आज तक आवंटित भूमि पर काश्त नहीं की है इस प्रकार आवंटियों ने आवंटन नियमों का पालन नहीं किया है । आंवटन सम्बन्धी कोई रिकोर्ड उपलब्ध नहीं है । तहसीलदार ने मौके पर विवादित आराजी को नाला माना है । खातेदारी अधिकार 10 वर्ष पश्चात् मिलनी चाहिए जो 1 वर्ष में दे दी गई है अनियमित रूप से खातेदारी दी गई है । अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आवंटन आदेश दिनांक 27.4.2013 निरस्त किया जावे । तथा तहसीलदार बाडी को आदेश दिया जावे कि आवंटित भूमि को आवंटन से पूर्व की स्थिति में राजस्व अभिलेखों में दर्ज करें ।

अप्रार्थीगण के विद्धान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान जबाव में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि उपखण्डाधिकारी बाडी ने विवादित आदेश के द्वारा अप्रार्थीगण के हक में आराजी खसरा नम्बर 235 रकवा 5 बीघा 4 विस्वा स्थित ग्राम इब्राहिमपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर का ही आवंटन नियमानुसार विधिक रूप से किया गया है जिसे चैलेन्ज करने का प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और ना ही निरस्त करा पाने का अधिकारी है । अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के हक में किये गये आवंटन के समय से पूर्व से ही आवंटित भूमि सिवायचक लगानी थी तथा उक्त आराजी खसरा नम्बर 235 की किस्म बारानी सोयम थी तथा उक्त आराजी पर पूर्व आवंटन से अप्रार्थीगण काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं और वर्तमान में भी है । अप्रार्थीगण ने सम्बत् 2071 में फसल चरी सम्वत् 2072 में सरसों सम्वत् 2073 तक फसल सरसों की पैदा की है और वर्तमान में भी अप्रार्थीगण की फसल खडी हुई है अप्रार्थीगण का आराजी खसरा नम्बर 235 रकवा 5 बीघा 4 विस्वा में आवंटन से पूर्व भी कब्जा होने पर अप्रार्थीगण द्वारा पैनल्टी राशि का भी भुगतान किया गया है । विवादित आराजी कभी नाला स्थापित नहीं रहा है उक्त आराजी सिवायचक भूमि है जिसकी किस्म बारानी सोयम है । अप्रार्थी को दिनांक 15.6.2013 को गैर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं जिसका नामान्तकरण संख्या 362 है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के हक में राजस्व कर्मचारियों द्वारा विधिवत रूप से गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 400 दिनांक 30.6.2016 को स्वीकार हुआ है आवंन्टी भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में आता है । आवंटी को एक बार खातेदारी मिल जाती है खातेदारी मिलने के पश्चात् आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता केवल काश्तकारी अधिनियम के

(नन्नूमल पहाडिया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

प्रावधान के अधीन ही बेदखल किया जा सकता है न कि नियम 14(4) के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में आरआरटी 2008 (2) पेज संख्या 835 में यह प्रतिपादित किया गया है कि **"राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम, 1970–नियम 14(4)–आवंटन का निरस्त करना–अति0 कलेक्टर द्वारा पारित आदेश राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा रद्द किया गया–भूमि आवंटन व कब्जा हस्तान्तरण के बाद आवंटन रद्द किया–अति0 कलेक्टर ने अस्पष्ट आदेश पारित किया–कौन सी शर्त का उल्लंघन किया, स्पष्ट नहीं किया–राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में कब्जा हस्तान्तरित किया–आवंटन 13 वर्ष बाद निरस्त किया गया जबकि आंवटी को पहले ही खातेदारी अधिकार अर्जित हो चुके थे–10 वर्ष के बाद आवंटी को केवल काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान के अधीन ही बेदखल किया जा सकता है न कि नियम 14(4) के अन्तर्गत–अपीलाण्टस यह साबित करने में विफल रहे कि आवंटी सदभावी कृषक नहीं है–अपीलान्टस अतिक्रमी है और सुरक्षा देना न्यायोचित नहीं है–निर्णित, राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय में हस्तक्षेप करने हेतु कारण नहीं है।**

दोनों पक्षों के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकोर्ड का अवलोकन करने के पश्चात् हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि :–

1. यह तथ्य सही है कि उपखण्डाधिकारी बाडी ने अपने आदेश दिनांक 27.4.2013 के द्वारा अप्रार्थीगण के हक में आराजी खसरा नम्बर 235 रकबा 5 बीघा 4 विस्वा स्थित ग्राम इब्राहिमपुर तहसील बाडी का आवंटन किया है तथा आवंटन का पट्टा अप्रार्थीगण के नाम जारी किया है ।
2. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक यह सिद्ध नहीं कर पाये हैं कि अप्रार्थीगण ने आवंटन के नियम 5 की पालना नहीं की है । इस सम्बन्ध में उन्होनें कोई साक्ष्य या दस्तावेज पेश नहीं किये हैं ।
3. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने इस तथ्य को सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये कि आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व आवंटन के लिये उपलब्ध भूमि की कोई सूची पंचायत मुख्यालय अथवा तहसील कार्यालय पर प्रकाशित नहीं की। आवंटन करने से पूर्व कोई आपत्ति आमन्त्रित नहीं की गई और न आवंटन की कोई उद्घोषणा जारी की गई है। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष में भी कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है ।
4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह कथन कि जिस भूमि का आवंटन किया गया है उसका आवंटन भूमि के किस्म बिना परिवर्तित किये नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवंटन से पूर्व जमीन की किस्म गैर मुमकिन मगरी दर्ज है सिद्ध नही होता इस सम्बन्ध में कोई कानून या नजीर पेश नही की ।
5. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक का अपनी बहस में कहना है कि आवंटन केवल आवंटन कमेटी द्वारा ही किया जा सकता है मात्र एक अधिकारी द्वारा नही किया जा सकता किन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में कोई कानून या नियम पेश नहीं किये । यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने भी अपना पक्ष सावित करने हेतु ऐसा कोई दस्तावेज बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया कि आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा किया गया है ।

(नन्दलाल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

6. अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थीगण के हक में विवादित आराजी का आवंटन नियमानुसार विधिक रूप से किया गया है किन्तु इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना एवं प्रकरण तहसीलदार बाडी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाना उचित समझते हैं कि वह प्रकरण में जॉच करें यदि जॉच में आवंटन नियम विरूद्ध पाया जावे तो आवंटन निरस्ती हेतु रैफरेन्स तैयार कर भिजवाये ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । प्रकरण तहसीलदार बाडी को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण के समस्त पहलुओं की जॉच करें यदि जॉच में अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन नियम विरूद्ध पाया जावे तो आवंटन निरस्तीकरण हेतु रैफरेन्स तैयार कर भिजवायें । निर्णय की प्रतिलिपि तहसीलदार बाडी को भिजवाई जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील दाखिल दफतर हो । नम्बर से कम की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 5.6.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(एन. एम. पहाड़िया)
जिला कलक्टर, धौलपुर

(नन्दमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर
धौलपुर (राजस्थान)